

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी -श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन- 410/2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण 1. मेहराराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी गोदारों की ढाणी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	विप्रार्थीगण 1. तहसीलदार सेड़वा।
--	-------------------------------------

वकील प्रार्थीगण :- श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक:- 09/02/2026

प्रार्थी मेहराराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी गोदारों की ढाणी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "प्रार्थी एक काश्तकार है एवं प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जाकाश्त खेत खसरा संख्या 576/162 रकबा 2-6734 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम ग्राम गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र भंवरिया भू अभिलेख निरीक्षक बाखासर तहसील सेड़व में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणी, टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए हैं। प्रार्थी की जोत व ढाणी पर आने जाने के लिए सरकारी भूमि खसरा संख्या 154 रकबा 23-4798 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन खारड़ा में से चलकर कटाण रास्ते तक आने जाने के लिए एकमात्र निकटतम रास्ता है। प्रार्थी की जोत खेत खसरा संख्या 576/162 के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते एवं कदीमी रास्ते को रोक लेते हैं। प्रार्थी की जोत तक जाने का भी रास्ता नहीं है, जिससे प्रार्थी अपनी जोत में आने के बाधित हो जाते हैं एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है, झगड़ा होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते का विवरण निम्नानुसार है-




उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा



क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि	मौजा	खातेदार का नाम
1	154	23-4798	गै.मु. खारड़ा	30 फीट	गोदारों की ढाणी	तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थी ने जो रास्ता वैकल्पिक रूप से परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल रंग से दर्शाया है जो विप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर 30 फीट चौड़ा कदीमी रास्ता चल रहा है, जो जिससे आगे सड़क मार्ग से प्रार्थी के अपने जोत तक जाने हेतु मार्ग की सख्त आवश्यकता है तथा मार्ग के अभाव में प्रार्थी को अपनी ढाणी आदि जाने में रूकावट पैदा होती है एवं सरकारी योजना सड़क इत्यादि बनने में रूकावट पैदा होती है। प्रार्थी रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगा, इस संबंध में प्रार्थीगण रास्ते बाबत विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 576/162 रकबा 2-6734 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम ग्राम गोदारों की ढाणी, पटवार मण्डल भंवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाखासर तहसील सेड़वा में जाने हेतु सरकारी भूमि के खसरा संख्या 154 रकबा तहसील सेड़वा में जाने हेतु सरकारी भूमि के खसरा संख्या 154 रकबा 23-4798 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन खारड़ा में से नया मार्ग खोलने का आदेश कर स्वीकृत मार्ग को राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता के रूप में अंकित करावें।"

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांक: रीडर/2025/2224 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक: भू.अ./2026/120 दिनांक 12.01.2026 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार दिनांक 05.01.2026 अनुसार प्रार्थी मेहराराम पुत्र मुलाराम की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	मौजा	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	किस्म
1	राजस्थान सरकार	गोदारों की ढाणी	154	23-4798	0-1133 हैक्टेयर (रास्ते की चौड़ाई- 30 फीट)	39655/-	गै.मु. खारड़ा

उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई कीमती मकान एवं पेड़ इत्यादि नहीं है। भूमि मौके पर खाली है एवं उक्त ग्राम की डीएलसी दर 350000/- प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते में भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि(क्षतिपूर्ति) राशि 79310/- रूपये। प्रस्तावित रास्ता नक्शे में बरंग लाल अंकित है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है-



उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) सेड़वा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	मौजा	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	किस्म
1	राजस्थान सरकार	गोदारों की ढाणी	154	23-4798	0-1133 हैक्टेयर (रास्ते की चौड़ाई- 30 फीट)	39655/-	गै.मु. खारड़ा

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)-(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांक: भूअ./2026/120 दिनांक 12.01.2026 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 05.01.2026 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुणा राजकोष में अदा करेंगे। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 12.01.2026 मय फर्द दिनांक 05.01.2026 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थी को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :-

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तों में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तों में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तों में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 30 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 30 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरो में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक ११.१२.२०२६ को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे।



पत्रावली फंसल शुमार होकर, दफतर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विष्णोई, आर.ए.एस.)
उपसब अधिकारी एवं
(SDO) सेड़वा

राजस्व का

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा जिला बाडमेर

दिनांक:- 12/01/2026

क्रमांक/भू.अ./2026/120

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशय:- राजस्व आवेदन सं 410/2025 अनवान मेहराराम वगैरह बनाम तहसीलदार सेड़वा अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 410/2025 अनवान मेहराराम वगैरह बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम गोदारों की ढाणी के खसरा 576/162 में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 154 में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में 05.01.2026 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

राजस्थान सरकार

अपने कार्य

मौका रिपोर्ट
(घारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं महेशराम मुत्ताराम (नाम) भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त/तहसीलदार सेडवा कार्यालय, तहसीलदार सेडवा के आदेश क्रमांक दिनांक की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 05/01/2026 समय 1:30 PM बजे आराजी खसरा नम्बर-154 वाके ग्राम गौदारी कीड़ा पटवार मंडल अंतर्गत पर श्री मांगी राम (AOK) पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक दिनांक द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	महेशराम पुत्र	मुत्ताराम	55	जाट	प्रार्थी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	मौजा	खसरा नं.	रुकवा हे. में	रास्ते में बसाविल्ल भूमि का रुकवा	रास्ते में समाविल्ल भूमि की कीमत	भूमि किस
01	राजस्थान - सरकार	गौदारी कीड़ा	154	23.4798 हेक्टर	0.1133 हेक्टर शाहला की चौड़ाई 30 फुट	39655/-	गै.मु. खारख

उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई कीमती भूदान एवं पैड़ इत्यादि नहीं हैं। भूमि मौके पर खाली है। एवं उक्त ग्राम की DLG दर 350000/- प्रति हेक्टर है। प्रस्तावित रास्ते में भूमि की DLG दर से दुगुनी राशि (क्षमिपूर्ति) राशि 79310/- रुपये। प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक्शे में कंशंग लाल अंकित है।


अ.म. महेशराम

05/01/2026
अतिरिक्त ऑफिस
कानूनगो सेडवा

तहसीलदार (मु.अ.) सेडवा

अप्री. का. 1

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	मेहराशह	पुत्र मुल्लाशह	जाट		प्राथी

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
-------	-----	-------------	------	------	--------------------

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01	शमचन्द्र	श. गोकलशह	विश्वेश		mob. 9199144219
02	सुरेशकुमार	श. केसलशह	शह		mob. 9672230627

इस प्रकार आज दिनांक 05/01/2026 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

हस्ताक्षर 05/01/2026
अतिरिक्त ऑफिस
भ. अ. निरीक्षक
कानूनगी सड़वा
वृत्त.....

तहसीलदार (मु.अ.) संभल

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

तहसील : सेड़वा

ग्राम : गोदारों की कणी

दिनांक : 09/01/2026 05:15:08 PM


भू. अ. नि. क्षेत्र : बाखासर

सकत

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि

बाड़मेर

एल्का : भंवरिया



मौजा नगरानी फ्लाय खसरा नं. 48
किस्म गेर-मुमकिन रास्ता -

मेवाणा

अतिरिक्त ऑफिस
कानूनगो सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Scale 1:2000

खसरा संख्या : 154 क्षेत्रफल : 23.4798 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : गै.मु.खारडा [23.4798]
राज. सरकार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा, जिला - बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 492

दिनांक:- 16.02.2026

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला- बाडमेर)

विषय:- राज आवेदन स. 410/2025 अनवान मेहराराम बनाम तहसीलदार सेड़वा में अंतर्गत धारा 251ए में निर्णय दिनांक 09.02.2026 में समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति की स्वीकृति बाबत।

महोदय जी,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि राज आवेदन स. 410/2025 अनवान मेहराराम बनाम तहसीलदार सेड़वा में अंतर्गत धारा 251 ए रा.का.अधि. में निर्णय दिनांक 09.02.2026 की पालना हेतु अति.ऑफिस कानूनगो सेड़वा को निर्देशित किये जाने पर अति.ऑफिस कानूनगो सेड़वा द्वारा निर्वापित अभिघृति ग्राम गोदारों की ढाणी के ख.न. 154 रकबा 0.1133 हैक्टर की ग्राम गोदारों की ढाणी की निर्धारित डीएलसी दर का दो गुणा से तथा अन्य सरंचना के वास्तविक मूल्य से गणना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि को पक्षकारों में विभाजन की गणना सहित रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में अति.ऑफिस कानूनगो सेड़वा से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि की गणना रिपोर्ट बाद जांच व प्रति हस्ताक्षर के स्वीकृति व अग्रिम आदेशार्थ श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

सादर।

भवदीय


16.02.2026
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

सेवामें,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय
सेड़वा

विषय: राजस्व आवेदन सं. 410/2025 अनवान मेहराराम बनाम तहसीलदार
सेड़वा अन्तर्गत धारा 251A RT Act में निर्णय दि. 09/02/2026 की
पालना में क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण वास्तु।


महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हे कि माननीय न्यायालय अपखण्ड
आयुक्तारी सेड़वा के राजस्व वाद सं. 410/2025 अनवान मेहराराम बनाम तहसीलदार
अन्तर्गत 251A RT Act में निर्णय दि. 09/02/2026 के अनुसार निर्णित रास्ते
में समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति राशि (वर्तमान OLC दर की दुगुनी) को प्रभावित
पक्षकार को भुगतान हेतु निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा	रकबा (रास्ते में प्रयुक्त भूमि)	निर्णित रास्ते के खातेदार जिनकी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है।	पक्षकार को देय क्षतिपूर्ति राशि (रुपये में)
1.	गोदारी की ढाणी	154	0.1133 हेक्टर	तहसीलदार सेड़वा।	79,310/-
			अक्षरे उनहत्तर	हजार तीन सौ दस रुपये।	

ग्राम गोदारी की ढाणी के खसरा सं. 154 में से निर्णित रास्ते में समाविष्ट भूमि की
कुल क्षतिपूर्ति राशि 79,310/- रुपये, प्रभावित पक्षकारी को देय होगी उक्त रास्ता
भूमि में किसी प्रकार का किमती पैड़, मकान ब्रत्यादि नहीं हैं।

उनाथेम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट श्रीमान्जी को सादर पेश है।


16/02/2026
अतिरिक्त ऑफिस
कानूनगो सेड़वा